



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय
आई.टी.शाखा, मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001

क्रमांक:- एफ3/मुख्या./आई.टी./2026/ 265

दिनांक:- 20 .07.2026

संशोधित कार्यालय आदेश

निगम के कार्यालय आदेश क्रमांक 195 दिनांक 27.05.2026 द्वारा प्रतियोगी परीक्षार्थियों हेतु निःशुल्क यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त यह निर्णय लिया जाता है कि जिन प्रतियोगी परीक्षार्थियों का इन्टरनेट अथवा तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हो पाया है, उन्हें भी निगम की बसों में मैनुअल आधार पर निःशुल्क यात्रा टिकट जारी किया जा सकेगा, जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी—

1. ऑनलाइन पंजीकरण वाले परीक्षार्थियों को पूर्ववत ऑनलाइन परीक्षार्थी पंजीयन पोर्टल आधारित सत्यापन के उपरांत टिकट जारी किए जाएंगे।
2. जिन परीक्षार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण इन्टरनेट अथवा तकनीकी समस्या के कारण उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें मैनुअल आधार पर संबंधित प्रतियोगी परीक्षा का वैध प्रवेश पत्र (Admit Card) प्रस्तुत करने के उपरांत निःशुल्क यात्रा टिकट जारी किया जा सकेगा।
3. मैनुअल आधार पर टिकट जारी करते समय परिचालक/बस सारथी/सिविल डिफेंस द्वारा परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र (Admit Card) की परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षरित स्पष्ट छायाप्रति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. संबंधित परिचालक/बस सारथी/सिविल डिफेंस उक्त प्रवेश पत्र की परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति पर स्वयं के हस्ताक्षर कर उस दिन के ETIM के DSA (Daily Statement of Account) के साथ संलग्न कर अनिवार्य रूप से संबंधित आगार/कार्यालय में जमा करवाएगा, जिससे आवश्यक जांच एवं अभिलेखीकरण किया जा सके।
5. अन्य सभी शर्तें एवं निर्देश पूर्व जारी कार्यालय आदेशानुसार यथावत प्रभावी रहेंगे।

इस व्यवस्था का दुरुपयोग पाए जाने पर संबंधित परिचालक/अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक 26.07.2026 से प्रभावी होंगे।

(विनोद पुरोहित)

कार्यकारी निदेशक (याता.)

दिनांक:- 20 .07.2026

क्रमांक:- एफ3/मुख्या./आई.टी./2026/ 265
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (यातायात), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त जोनल मैनेजर, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त मुख्य प्रबंधक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै. इबिक्स टेक्नोलॉजीज लि. को प्रेषित कर लेख है कि ऊपरोक्त के अनुसार सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने एवं संबंधित परिचालकों का प्रशिक्षण करवाने का श्रम करावे
7. रक्षित पत्रावली।

उप महाप्रबंधक (आई.टी.)